भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 253

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

वाणिज्यिक कोयला खनन

253. श्री बिद्युत बरन् महतो:

श्री रवि किशन:

श्री सुब्रत पाठक:

श्री चंद्र शेखर साहू:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री मनोज तिवारी:

श्री रविन्द्र कुशवाहा:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन खोल दिया है;

(ख) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(ग) : अब तक कितनी खानों में वाणिज्यिक खनन की स्वीकृति प्रदान की गई है;

(घ) : क्या उक्त निर्णय से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने तथा जल संसाधनों पर दबाव पड़ने एवं बड़े स्तर पर लोगों का विस्थापन होने की आशंका है; और

(ड.) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उक्त मुद्दों विशेषकर बड़े पैमाने पर जनजातियों के विस्थापन का समाधान करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं / किए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री</u>

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : जी, हां।

(ख) : राजस्व शेयरिंग आधार पर कोयला / लिग्नाइट की बिक्री हेतु मई, 2020 में कोयला और लिग्नाइट खानों / ब्लॉकों की नीलामी के लिए कार्य-पद्धति का अनुमोदन किया गया है जिसकी विशेषताओं में कोयले के शीघ्र उत्पादन एवं गैसीकरण अथवा द्रवीकरण हेतु प्रोत्साहन, राजस्व शेयर की प्रतिशतता के लिए बोली जो राज्य सरकार को देय होगा, कोयला बेड मीथेन (सीबीएम) के दोहन की अनुमति, कोयला खान से कोयले की बिक्री और / अथवा उपयोगिता पर किसी

प्रतिबंध का न होना, आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला खान के सफल बोलीदाता द्वारा कोयला ब्लॉकों को छोड़ना आदि शामिल है।

कोयला मंत्रालय ने सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 तथा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत 18 जून, 2020 को वाणिज्यिक खनन हेतु 41 कोयला खानों की नीलामी शुरू की है। कोयला खानें 05 कोयलाधारी राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा से थीं। इन खानों में से 19 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। इन खानों की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी कोयला खनन क्षेत्र में और अधिक निजी निवेश आकर्षित करने का प्रयास है। वाणिज्यिक खनन का उद्देश्य विपणन ताकतों के आधार पर कोयले के पारदर्शी मूल्य निर्धारण को प्रोत्साहित करना एवं बहु उत्पादकों के लिए कोयला हेतु बाजार का सृजन करना है ताकि खनन एवं पर्यावरण प्रबंधन में प्रतिस्पर्धा हो सके एवं उत्कृष्ट पद्धति अपनाई जा सके। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से नए निवेश आएंगे एवं रोजगार का सृजन होगा। कोयला क्षेत्र को खोलने से देश में बाजार आधारित कोयला अर्थव्यवस्था के सृजन में सहायता मिलेगी। इससे पर्याप्त प्रतिस्पर्धा होगी जिससे ब्लॉकों के लिए बाजार मूल्य का पता चलेगा एवं कोयला ब्लॉकों का तीव्र विकास होगा। नीलामी से प्राप्त संपूर्ण राजस्व कोयलाधारी राज्य सरकारों को आवंटित किया जाएगा, अत: यह आशा की जाती है कि कोयलाधारी राज्यों अर्थात् झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा को अत्यधिक सामाजिक-आर्थिक लाभ होगा।

(ग) : केन्द्रीय / राज्य पीएसयू को कोयले की बिक्री हेतु कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत 14 कोयला खानें आवंटित की गई हैं। इसके अलावा, वाणिज्यिक कोयला खनन के हाल ही में संपन्न पहले दौर में 19 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। दिनांक 11.01.2021 को उन 19 कोयला खानों के सफल बोलीदाता के साथ करार किए गए।

(घ) तथा (ड.) : कोयला खनन प्रचालनों का भूमि उपयोग पद्धति में परिवर्तन, वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण के मामले में पर्यावरण पर कुछ प्रभाव पड़ता है। तथापि, खनन प्रचालन प्रारंभ करने / विस्तार करने से पूर्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय [एमओईएफ एंड सीसी] द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। ईएमपी तैयार करने हेतु खनन प्रचालन से पूर्व तथा उसके उपरांत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) किया जाता है जिस पर एमओईएफ एंड सीसी के अंतर्गत विशेषज्ञों की पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा विस्तृत चर्चा की जाती है। चर्चा के आधार पर ईएसी मामले की सिफारिश करता है और तद्नुसार एमओईएफ एंड सीसी द्वारा पर्यावरण अनापत्ति (ईसी) प्रदान की जाती है। यह उल्लेख किया जाता है कि वन भूमि वाली परियोजनाओं में ईसी प्रदान करने के लिए ईसी प्राप्त करने से पूर्व स्टेज-1 वन अनापत्ति (एफसी) प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ईसी प्रदान करते समय एमओईएफ एंड सीसी कार्यान्वयन हेतु शर्तें / शमन उपाय निर्धारित करता है जिसका परियोजना प्रस्तावकों को अनुपालन करना होता है। ईसी प्राप्त करने के पश्चात परियोजना प्रस्तावक को सांविधिक रूप से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) से जल एवं वायु अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापना की सहमति एवं प्रचालन की सहमति लेनी होती है। परियोजना कार्यान्वयन के

दौरान ईसी में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी एमओईएफ एंड सीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा संबंधित एसपीसीबी के माध्यम से किया जाता है। पर्यावरणीय गुणवत्ता विशेषताओं की माप ईपी नियमावली में यथानिर्धारित तथा ईसी शर्तों के अनुसार की जाती है। इस प्रकार तैयार की गई रिपोर्ट 6 महीने में एक बार एमओईएफ एंड सीसी तथा एसपीसीबी के क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजी जाती है।

अनुबंध

क्र. सं.	खान	राज्य	अधिमान्य बोलीदाता	पीआरसी (एमटीपीए)
1	ब्रह्माडीहा	झारखंड	आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कोरपोरेशन लि.	0.15
2	चकला		हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	5.30
3	गोंदुलपारा		अदानी इंटरप्राईज़ेज लिमिटेड	4.00
4	ऊर्मा पहाड़ीटोला		ओरबिंदो रियेलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	10.00
5	राजहारा नार्थ (मध्य एवं पूर्वी)		फेयरमाइन कारबन्स प्राइवेट लिमिटेड	0.75
6	साहापुर ईस्ट	मध्य प्रदेश	चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	0.70
7	बंधा		ईएमआईएल माइन्स एंड मिनरल रिसोर्सेज़् लिमिटेड	5.00
8	धीराऊली		स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज़् प्राईवेट लिमिटेड	3.00
9	साहपुर वेस्ट		सारदा एनर्जी एंड मिनरलस् लिमिटेड	0.60
10	उर्तन		जेएमएस माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड	0.65
11	उर्तन नार्थ		जेएमएस माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड	0.60
12 और 13	गोटीटोरिया (ईस्ट) एंड गोटीटोरिया (वेस्ट)		बोल्डर स्टोन मार्ट प्राईवेट लिमिटेड	0.30
14	गारे-पाल्मा- IV/1	छत्तीसगढ़	जिंदल पावर लिमिटेड	6.00
15	गारे-पाल्मा - IV/7		सरदा एनर्जी एंड मिनरलस् लिमिटेड	1.20
16	राधिकापुर (वेस्ट)	ओडिशा	वेदांता लिमिटेड	6.00
17	राधिकापुर (ईस्ट)		ईएमआईएल माइन्स एंड मिनरल रिसोर्सेज़् लिमिटेड	5.00
18	मर्की मंगली-II	महाराष्ट्र	यजदानी इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	0.30
19	तकली-जेना-बेल्लोरा (नार्थ) एवं तकली-जेना - बेल्लोरा (साउथ)		ओरबिंदो रियेलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	1.50

*****